होटल प्रबंध खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपूर

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय)

IHM:CSS: SC:2024- 1533

12/8/2024 दिनांक:

सूचना

त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स (B.Sc. in H&HA) के प्रथम वर्ष (1st Year) के अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृति योजना

(Central Sector Scholarship Scheme for Top Class Study for SC Students)

B.Sc. H&HA के प्रथम वर्ष के अनुसूचित जाति के छात्रों को सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अनूसूचित जाति (SC) के छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृति योजना अंतर्गत पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिसके तहत प्रत्येक वर्ष संस्थान (होटल प्रबंध संस्थान, हाजीपूर) में नामांकन लेने वाले तीन (Three) नवीन (New) अनुसूचित जाति (SC) के योग्य छात्रों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है।

शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिये यह लाभ तीन अनुसूचित जाति (SC) के वैसे छात्रों को प्रदान की जायेगी जो शैक्षिक वर्ष 2024-25 में त्रिवर्षीय B.Sc H&HA कोर्स के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन कराये है साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोत से आठ लाख रूपये से अधिक नहीं हैं। यह छात्रवृति योजना एक परिवार में दो सदस्यों से अधिक को नहीं प्रदान की जायेगी जिसके लिये उन्हें एक शपथ-पत्र देना होगा कि उनके परिवार का तीसरा सदस्य इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहें है। कुल आबंटित सीट का 30% महिला अनुसूचित जाति के छात्रा के लिये आरक्षित है। कोई छात्रा के योग्य नहीं होने पर यह सीट योग्य अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जायेगी।

उपरोक्त छात्रवृति में आवेदन ऑनलाईन <u>www.scholarships.gov.in</u> के माध्यम से किया जाना है उसके बाद सभी आवश्यक कागजात सिहत हार्ड कॉपी आवेदन संस्थान में सत्यापन हेतु जमा करना है। अत: प्रथम वर्ष के अनुसूचित जाित के छात्र-छात्राओं को निर्देश दिया जाता है उक्त बेबसाईट के माध्यम से समय रहते आवेदन कर सत्यापन हेतु आवेदन जमा करे।

महत्वपूर्ण तिथिः

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि:- 31.10.2024

(पुलक मंडल) प्राचार्य

wing.

प्रतिलिपि:नोटिस बोर्ड, शैक्षिक विभाग, प्रशासकीय विभाग, बेबसाईट

नोटः छात्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को दावा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये यह पूरी तरह योग्यता एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन करने पर निर्भर करता है।



Institute of hotel management catering technology & Applied Nutrition, Hajipur

(An Autonomous Body under Ministry of Tourism, Govt. of India)

IHM:CSS: SC:2024- 1533

Date: 12/8/2024

NOTICE

Central Sector Scholarship for SCHEDULED CASTE CANDIDATES of 1st Year of 3 year B.Sc in H&HA course in 2024-25

It is hereby notified that Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, New Delhi introduces the **Central Sector Scheme of Scholarship for Top Class Education for SC students** for recognising and promoting quality education to the Scheduled Casts by providing full financial support. Accordingly, 3 fresh slots (scholarship for 3 SC students) per year would be allotted to Institute of Hotel Management, Hajipur.

This benefit will be provided to SC students who have taken admission to 3 year B.Sc in H&HA course in 1st Semester at IHM, Hajipur during the academic session 2024-25 and whose family income is up to Rs. 8 lacs per annum from all sources. The benefits of the scheme will not be provided to more than 2 siblings in a family. The students will have to submit an affidavit to certify that he/she is not the third sibling of the family who is availing benefit under this Scheme.

The scholarship will be restricted to the top ones in the inter-se-merit list (NCHM JEE conducted by NTA) if the number of eligible SC students is more than slots (i.e. 3) allotted to the institute. 30% seats of total slots is reserved for SC girls students if no girls students admitted/eligible then her seats will be given to eligible boy student. The students are directed to apply online through NSP portal www.scholarships.gov.in and submit the hardcopy application to the Institute along with all required documents for verification.

Important date:

Last date of online submission of Application:

31.10.2024

(Pulak Mandal) Principal

CC: Notice Board, Academic, Administration, Website

Note: The grant of financial assistance to the students should not be taken as claim, as it is subject to fulfilment of conditions and sanction from Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, New Delhi.